न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 04 / 2023

1 सुनिल सोमरा पुत्र स्व. मानसिंह उम्र 30 साल जाति जाट निवासी सोमरा की ढाणी तन मालुपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 राजवीर पुत्र स्व. उम्मेद सिंह उम्र 47 साल
2 सवित्री देवी पत्नी स्व. उम्मेद सिंह उम्र 72 साल
3 मृतक विनोद पुत्र स्व. उम्मेद सिंह उमम्र 35 साल
4 अनिता पत्नी स्व. रोहिताश उम्र 37 साल
समस्त जाति जाट निवासी सोमरा की ढाणी तन मालुपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झ ु नूं।
5 सुमन पुत्री स्व. उम्मेद सिंह उम्र 40 साल जाति जाट हाल निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
6 धर्मसिंह पुत्र स्व. जीताराम उम्र 54 साल
7 अनिल पुत्र स्व. मानसिंह उम्र 26 साल
8 मु. दयावन्ती पत्नी स्व. मानसिंह उम्र 57 साल
9 प्रेम पुत्री स्व. मानसिंह उम्र 36 साल
समस्त जाति जाट निवासी सोमरा की ढाणी तन मालुपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झ ु नूं।
10 महावीर सिंह पुत्र स्व. मालाराम उम्र 52 साल
11 मु. लिछमी पत्नी स्व. मालाराम उम्र 72 साल
12 मु. किताब देवी पत्नी स्व. महेश कुमार उम्र 44 साल
समस्त जाति जाट निवासी सोमरा की ढाणी तन मालुपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झ ु नूं।
13 प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अरड़ावता तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
14 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 प्रथम अपील विरूद्ध प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दावा उनवानी राजवीर बनाम धर्मसिंह वगै. दावा बाबत घोषणा, विभाजन, व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 50/2020

उपस्थिति :

1. श्री इकरार अली, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश श्योराण, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री अवधेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 3/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 50/2020 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक दावा उनवानी राजवीर बनाम धर्मसिंह वगै. मुकदमा नम्बर 50/2020 विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण की तामील आगामी तारीख पेशी 11.10.2022 नियत थी। लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 4 लगायत 14 को सूचित किये बिना ही दिनांक 11.10.2022 को ही अपीलान्ट की तलबी पूर्व में हो चुकी होना मानकर बार–बार आवाज लगाने पर कोई हाजीर नहीं आने पर अपीलान्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई जानकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 (वादी) द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किये बिना ही प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रकरण सहमति से रिमांड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है उभयपक्ष ने वरवक्त बहस सहमति व्यक्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त विवेचन एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर